12/चक0—विविध—06/2019 ......788....../चक0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(चकबंदी निदेशालय)

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 10.12.2020

विषय :— बिहार जोतों का समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956 से आच्छादित ग्रामों में बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 के तहत कार्यों के सम्पादन में दिशा–निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चकबंदी योजना बिहार जोतों का समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956 के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं के समाप्ति उपरांत राज्य के रैयतों को वर्तमान में निम्न समस्या उत्पन्न हो गयी है :—

(i) चकबंदी अधिनियम के अधीन अनाधिसूचित कुछ मौजों में चकबंदी खतियान के अनुसार रसीद कट रही है एवं दखल कब्जा भी है, लेकिन कतिपय कारणों से चक मानचित्र रैयतों को उपलब्ध हो पाया है।

(ii) कुछ मौजों में अनाधिसूचित होने के बाद भी आर0एस0 खतियान के अनुरूप ही दखलकार है एवं तदनुरूप रसीद भी कट रही है।

(iii) कई जिलों में अधिकांश मौजों में चकबंदी खतियान के अनुरूप दखल कब्जा है एवं रसीद कट रही है। जबकि कई मौजों में कुछ रैयतों का दखल कब्जा आर0एस0 खतियान पर आधारित है तथा तदनुरूप रसीद भी कट रही है।

(iv) चकबंदी अधिनियम की धारा 26(क) के तहत अनाधिसूचित हो जाने के पश्चात् भी कई मौजों में रैयत वास्तविक दखलकार नहीं है।

(v) चकबंदी एवं सर्वे खतियान के आधार पर दखल कब्जा को लेकर विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो रही है।

उपर्युक्त परिस्थिति में चकबंदी अधिनियम की धारा 26(क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित ग्रामों में किये गये चकबंदी कार्यों को निष्प्रभावी तथा अमान्य घोषित करने पर भी समस्या का समाधान संभव नहीं है, क्योंकि चकबंदी योजना के अनुसार सभी रैयत दखल में नहीं हैं या फिर सभी रैयत आर0एस0 सर्वे खतियान के अनुसार दखल में हैं। इस प्रकार चकबंदी कार्यक्रम को किसी भी ग्राम में अमान्य अथवा निष्प्रभावी घोषित करने पर काफी संख्या में रैयतों के लिए वैधानिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो सकती है।

वर्तमान में बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आच्छादित जिलों के रैयतों को कोई वैधानिक कठिनाईयाँ उत्पन्न न हो, के हित को देखते हुए चकबंदी

कृ0पृ0उ0 ....

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम में वर्तमान प्रावधान के तहत इस बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त की गई है। प्राप्त परामर्श का सार इस प्रकार है :–

The present file has been produced for opinion regarding stand taken by the department for removing the dificulties after issuance of notification under section 26(A) of the Consolidation Act, 1956 the difficulties which the department is facing are at page no. 2 & 3 (I to vi).

Persue the file and notings as well as views of the department regarding handling the difficulties. Provisions of special survey and settlement Act, 2011 is also examine.

Since the Government has already passed special survey and settlement Act, 2011 and under this Act Govt. is empowered to issue notification under section 3 for currying out survey in the state. Further section 20 of the Act is made as overriding effect over other laws.

Further state Govt. isproposed to initiate consolidation proceeding after completion of special survey.

Under section 6 of the special survey and settlement Act, 2011 land holders and /owner have to submit declaration of land owned/hold by them in Form&2, thereafter as per section 9 Khanapuri work will be done. And further under section 11 records of right will be published.

Since Khanapuri party has given power to examine all the claims/objection regarding declaration made by the raiyat. Accordingly irrespective of consolidation proceeding is over or not, whether possession is on the basis of chak khatiyan or R.S. Khatiyan, rent collected by the Govt. as per R.S. or chak khatiyan, Raiyat is made to declare their holding/possession. And as per special survey Act. 2011, Khanapuri party shall take into account continuous possession and after scruitinizing the objection/claim, records of right can be prepare. I am of the considered view that the stand taken by the department i.e. Khanapuri work is to be done as per their continuous possession is correct.

अतः अनुरोध है कि यथावर्णित तथ्यों के आधार पर विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 के तहत कार्य करने हेतु खानापुरी दल को निदेश दिया जाय।

विश्वासभाजन

(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 788 /चक0, पटना, दिनांक 10.12.2020

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner